भारत सरकार

अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 2227

उत्तर देने की तारीख : 12.03.2025

राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास और वित्त निगम (एनएमडीएफसी)

2227. श्री केसिनेनी शिवनाथ:

क्या **अल्पसंख्यक कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत पांच वर्षों के दौरान राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास और वित्त निगम (एनएमडीएफसी) के अंतर्गत लाभार्थियों की कुल संख्या का राज्यवार, विशेषकर आन्ध्र प्रदेश का ब्यौरा क्या है;

(ख) विगत पांच वर्षों के दौरान उक्त योजना के लिए आबंटित निधि का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार के पास शैक्षिक ऋण योजना की क्रेडिट लाइन-1 और क्रेडिट-लाइन-2 के अंतर्गत लाभार्थियों के संबंध में कोई आंकड़े हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और आज तक वर्ष-वार कुल कितने ऋण स्वीकृत किए गए और कितनी राशि संवितरित की गई है?

<u>उत्तर</u>

अल्पसंख्यक कार्य मंत्री

(श्री किरेन रिजिजू)

(क): एनएमडीएफसी की योजनाएं राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन और पंजाब ग्रामीण बैंक और केनरा बैंक द्वारा नामित राज्य चैनलाइजिंग एजेंसियों (SCA) के माध्यम से राज्यों में कार्यान्वित की जाती हैं। आंध्र प्रदेश राज्य अल्पसंख्यक वित्तीय निगम (APSMFC) वर्तमान में आंध्र प्रदेश में राज्य चैनलाइजिंग एजेंसी (SCA) के रूप में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम (NMDFC) योजनाओं को कार्यान्वित कर रहा है। APSMFC के माध्यम से NMDFC योजनाओं का कार्यान्वयन वर्ष 2008-09 में रोक दिया गया था, जब राज्य सरकार ने पूरी तरह अनुदान आधारित योजनाओं पर ध्यान केंद्रित करने का निर्णय लिया था। तत्कालीन आंध्र प्रदेश के वर्तमान आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में विभाजन के बाद, आंध्र प्रदेश सरकार ने आंध्र प्रदेश में NMDFC योजनाओं को कार्यान्वित करना जारी रखने के लिए APSMFC को नामित किया है।

APSMFC को वर्तमान में NMDFC के साथ एक सामान्य ऋण समझौते (GLA) पर हस्ताक्षर करने की आवश्यकता है, और आंध्र प्रदेश सरकार NMDFC से निधि निकासी की सुविधा के लिए APSMFC के पक्ष में एक नई सरकारी गारंटी प्रदान करने के लिए बाध्य है। इसके अलावा, पहुंच बढ़ाने के लिए, पूरे देश

में केनरा बैंक के माध्यम से अगस्त 2021 से शुरू होने वाले NMDFC योजनाओं के कार्यान्वयन का विस्तार किया जा रहा है।

पिछले पांच वित्तीय वर्षों (2019-20 से 2023-24) के दौरान आंध्र प्रदेश सहित NMDFC योजनाओं के तहत वित्तपोषित लाभार्थियों की संख्या का राज्यवार विवरण संकलित किया जा रहा है जिसका ब्यौरा 'अनुबंध-क' पर संलग्न है।

(ख): पिछले पांच वित्तीय वर्षों अर्थात् वित्त वर्ष 2019-20 से वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान NMDFC योजनाओं के अंतर्गत लक्षित लाभार्थियों को रियायती ऋण देने के लिए निधियों का उपयोग करने हेतु राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम (NMDFC) द्वारा अपनी राज्य चैनलाइजिंग एजेंसियों (SCA) को जारी की जा रही निधियों का राज्यवार विवरण संकलित किया जा रहा है। जिसका ब्यौरा 'अनुबंध-ख' पर संलग्न है।

(ग) और (घ): जी हां, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम (NMDFC) द्वारा अपनी राज्य चैनलाइजिंग एजेंसियों (SCA) के माध्यम से वित्तीय वर्ष 2015-16 से वितरित किए जा रहे शिक्षा ऋणों का वर्षवार और क्रेडिट लाइनवार ब्यौरा संकलित किया जा रहा है। जिसका ब्यौरा 'अनुबंध-ग' पर संलग्न है।

******

<u>अनुबंध क</u>

श्री केसिनेनी शिवनाथ द्वारा दिनांक 12.03.2025 को उत्तर दिए जाने हेतु "राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम (NMDFC)" के संबंध में पूछे गए लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2227 के भाग (क) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

वित्त वर्ष 2019-20 से वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान NMDFC द्वारा वित्तपोषित लाभार्थियों की राज्यवार संख्या

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	लाभार्थियों की संख्या
1	अंडमान और निकोबार	3
2	आंध्र प्रदेश	3191
3	अरुणाचल प्रदेश	23
4	असम	959
5	बिहार	177
6	चंडीगढ़	33
7	दिल्ली	40
8	गोवा	104
9	गुजरात	956
10	हरियाणा	1874
11	हिमाचल प्रदेश	3387
12	जम्मू और कश्मीर	14873
13	झारखंड	123
14	कर्नाटक	456
15	केरल	283088
16	लद्दाख	1
17	लक्षद्वीप	41
18	मध्य प्रदेश	9
19	महाराष्ट्र	2395
20	मणिपुर	121
21	मेघालय	170
22	मिजोरम	876
23	नागालैंड	1205
24	ओडिशा	243
25	पुदुचेरी	1
26	पंजाब	119
27	राजस्थान	1470
28	सिक्किम	66
29	तमिलनाडु	66667
30	तेलंगाना	873
31	त्रिपुरा	1222
32	उत्तर प्रदेश	3067
33	उत्तराखंड	118
34	पश्चिम बंगाल	448493
	कुल योग	**836444**

<u>अनुबंध ख</u>

श्री केसिनेनी शिवनाथ द्वारा दिनांक 12.03.2025 को उत्तर दिए जाने हेतु "राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम (NMDFC)" के संबंध में पूछे गए लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2227 के भाग (क) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

वित्त वर्ष 2019-20 से वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान NMDFC द्वारा अपने एससीए को लक्षित लाभार्थियों को आगे ऋण देने के उद्देश्य से उपयोग करने के लिए जारी की गई धनराशि का राज्यवार विवरण

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	एनएमडीएफसी द्वारा जारी धनराशि (करोड़ रुपये में)
1	अंडमान और निकोबार	0.03
2	आंध्र प्रदेश	9.68
3	अरुणाचल प्रदेश	0.52
4	असम	2.79
5	बिहार	1.41
6	चंडीगढ़	0.50
7	दिल्ली	0.60
8	गोवा	1.62
9	गुजरात	14.43
10	हरियाणा	22.17
11	हिमाचल प्रदेश	50.79
12	जम्मू और कश्मीर	198.77
13	झारखंड	6.55
14	कर्नाटक	3.81
15	केरल	1345.42
16	लद्दाख	0.02
17	लक्षद्वीप	0.27
18	मध्य प्रदेश	0.19
19	महाराष्ट्र	31.03
20	मणिपुर	0.48
21	मेघालय	1.63
22	मिजोरम	13.43
23	नागालैंड	3.03
24	ओडिशा	0.89
25	पुदुचेरी	0.02
26	पंजाब	3.78
27	राजस्थान	16.23
28	सिक्किम	1.00
29	तमिलनाडु	253.94
30	तेलंगाना	7.86
31	त्रिपुरा	18.32
32	उत्तर प्रदेश	34.58
33	उत्तराखंड	1.59
34	पश्चिम बंगाल	1552.82
	कुल योग	**3600.21**

अनुबंध- ग

श्री केसिनेनी शिवनाथ द्वारा दिनांक 12.03.2025 को उत्तर दिए जाने हेतु "राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम (NMDFC)" के संबंध में पूछे गए लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2227 के भाग (क) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

वित्तीय वर्ष 2015-16 से NMDFC द्वारा अपने SCA के माध्यम से वितरित शिक्षा ऋण का वर्षवार एवं क्रेडिट लाइनवार विवरण

(राशि करोड़ रुपये में)

	क्रेडिट लाइन 1		क्रेडिट लाइन 2		कुल	
वित्तीय वर्ष	लाभार्थियों की संख्या	राशि	लाभार्थियों की संख्या	राशि	लाभार्थियों की संख्या	राशि
2015-2016	1615	14.72	70	1.08	1685	15.80
2016-2017	1779	16.93	142	2.38	1921	19.31
2017-2018	1709	17.84	174	3.25	1883	21.08
2018-2019	1433	16.79	172	3.27	1605	20.07
2019-2020	4350	47.70	178	6.11	4528	53.81
2020-2021	2565	91.16	142	4.90	2707	96.06
2021-2022	579	10.97	144	7.88	723	18.85
2022-2023	1953	31.32	112	4.32	2065	35.64
2023-2024	581	9.75	92	2.73	673	12.48
2024-2025	801	18.51	63	1.89	864	20.40
कुल योग	**17365**	**275.70**	**1289**	**37.79**	**18654**	**313.49**